संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2020/ भोपाल, दिनांक / /2020

<u>//आदेश//</u>

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश कमांक एफ 04–01/2006/सत्रह/मेडि–1, दिनांक 13.03.2013 द्वारा शासकीय चिकित्सकों को रू. 37400–67000+8700 वेतन बैंड + ग्रेड वेतन पर चिकित्सा सेवा भत्ता रू. 5000/– स्वीकृत किया गया।

संचालनालय के आदेश क./1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/व.प्र.से. वेतन /2019/22 दिनांक 07.01.2019 द्वारा डॉ. उपेन्द्र कुमार दुबे संयुक्त संचालक मुख्यालय को दिनांक 11.06.2017 से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400–67000+ग्रेड–पे 8700/– स्वीकृत किया गया है।

शासन के आदेश दिनांक 13.03.2013 के अनुक्रम में डॉ. उपेन्द्र कुमार दुबे, तत्कालीन संयुक्त संचालक मुख्यालय को 11.06.2017 से वेतन बैंड + ग्रेड वेतन के आधार पर दिनांक 11.06.2017 से 30.10.2020 तक रू 5000/– (पॉच हजार) चिकित्सा सेवा भत्ता स्वीकृत किया जाता है

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।</u>

उपसंचालक (कार्या.स्था.)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2020/2459 भोपाल, दिनांक 18/11 /2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय की ओर उनकी टीप क. 2142 दिनांक 11.11.2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, विज्ञप्त, स्थानीय कार्यालय।
3. डॉ. उपेन्द्र कुमार दुबे, सेवा निवृत्त, संयुक्त संचालक, 6–ए गणपति एन्कलेव कोलार रोड, भोपाल।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. आदेश नस्ती ।

18/11/20

उपसंचालक (कार्या.स्था.)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश